प्रेस नोट दिनाँक-01.09.2020

(1). आज दिनाँक 01.09.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पांडेय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के IPS संवर्ग में प्रोन्नत होने पर श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा IPS बैच लगाया गया एवं मिष्ठान खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम तथा श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैया एवं उनकी टीम द्वारा कालीघाटी के मंदिर के पास से अन्तर्परिक्षेत्रीय वाहन चोर (1) अनीश पुत्र रोशन अली (2) अमानत पुत्र इद्दू बक्श निवासीगण मुस्लिमपुरवा सरैया थाना मानिकपुर को चोरी की मोटरसाइकिल Apache rtr 180 फर्जी नम्बर UP96 C 1771 व पैशन प्रो असली नम्बर UP70 BJ 7036 के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चोरों के गैंग का मुखिया सहीम पुत्र राजाउल खान थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट मौके से भाग निकला जो चोरी की गाड़ियों का फर्जी RC तैयार कर फर्जी नम्बर डालकर वाहनों को अच्छे दामों में बिक्री करता था। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सँ0 111/2020 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मोटरसाइकिल Apache rtr 180 फर्जी नम्बर UP96 C 1771 असली नम्बर UP33AR 3060
2. पैशन प्रो असली नम्बर UP70 BJ 7036

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैया
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
4. आरक्षी विवेकानन्द
5. आरक्षी शिवपाल
6. आरक्षी लखनलाल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री देवेंद्र कुमार ओझा थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा भारतपुरवा तिराहा से अभियुक्त संजय कुमार पुत्र खुन्नीप्रसाद निवासी भारतपुरवा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र ओझा थाना बरगढ़
2. आरक्षी कुलदीप कुमार द्विवेदी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री धर्मराज यादव प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त (1) तेजराम यादव निवासी बरगदहापुरवा कर्वी (2) वीरेन्द्र धोबी पुत्र मोतीलाल निवासी भरतकूप (3) मन्ना उर्फ वीरेन्द्र यादव पुत्र रामखिलावन निवासी अमरपुर (4) बच्चीलाल यादव पुत्र कल्लू निवासी बरगदहापुरवा कर्वी (5) कमलेश उर्फ धीरेन्द्र यादव पुत्र मेवालाल निवासी बरगदहापुरवा कर्वी के विरूद्ध 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।